भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3019

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

एमएसएमई हेतु सरकारी खरीद नीति

3019. श्रीमती मंजू शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोरोना काल के बाद की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति के सुचारू कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए व्यापार में सुगमता बढ़ाने तथा उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्न प्रकार से है:

i. एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए वर्ष 2020 में एक नए संशोधित मानदंड को अपनाया गया। इसे पुन: संशोधित किया गया, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है, ताकि एमएसएमई को प्रोद्यौगिकी में उर्ध्व गतिशीलता सृजित करने, कार्य-कुशलता और व्यापार को बढ़ाने, इनके रूपांतरण को संवर्धित करने के साथ-साथ उनके विस्तार में सहायता प्रदान की जा सके।

ii. व्यापार में सुगमता हेतु, एमएसएमई के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई।

iii. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल किया गया।

iv. एमएसएमई की स्थिति में अग्रगामी परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभों को 3 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है।

v. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के तहत लाभ प्रदान करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई।

vi. एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए आत्म निर्भर भारत निधि का संचालन।

vii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत, सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को प्रदान किए गए ऋणों के लिए, किसी कोलेटरल सुरक्षा या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना, गारंटी प्रदान की जाती है। केन्द्रीय बजट 2023-24 में की गई उद्घोषणा के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) में 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि का निवेश किया गया है ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर, 2.00 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जा सके।

- एमएसएमई सहित, व्यापारों के लिए, 5 लाख करोड़ रुपए की इमेरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की गई। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक लागू थी। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों, जिनमें से 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी के थे, को गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों की श्रेणी में जाने से बचाया गया।

- कोरोना अवधि के पश्चात एमएसएमई को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2023 को विवाद से विश्वास I- एमएसएमई के लिए सहायता (वी से वी-I) की शुरूआत की गई। स्कीम के तहत, कोविड-19 की अवधि के दौरान सरकारी अनुबंधों के लिए निष्पादन सुरक्षा, बिड सिक्यूरिटी और परिसमापन हर्जाने के रूप में की गई कटौती की 95% राशि वापिस करते हुए सहायता प्रदान की गई। अनुबंधों के निष्पादन में चूक के लिए वंचित एमएसएमई को भी सहायता प्रदान की गई। स्कीम के तहत एमएसएमई वेंडरों के 60,000 से अधिक दावों का निपटान भी किया गया। इसके अतिरिक्त, पीपीपी अनुबंधों सहित, सभी अनुबंधों के लिए डिलीवरी अवधि को बिना किसी शास्ति के 3 से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं:

(i) मएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2017 को "एमएसएमई-संबंध पोर्टल" की शुरुआत की। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा खरीद की सक्रिय रूप से निगरानी करने में सहायता प्रदान करता है।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय नीति के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीपीएसई के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई मंत्रालय, आवश्यकता के अनुसार, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में पत्रादि और स्पष्टीकरण भी जारी करता है।

(iii) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका उपयोग मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए किया जाता है। एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर जेम के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(iv) खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत वेंडर विकास कार्यक्रम एमएसई के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ एमएसई केवल सीपीएसई के साथ ही नहीं बल्कि अन्य हितधारकों के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए विभागों/सीपीएसयू द्वारा विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(v) राष्ट्रीय एससी/एसटी हब स्कीम के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) सार्वजनिक खरीद में आकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाने और उनके क्षमता निर्माण को संवर्धित करने के लिए नए उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है।

****